

प्रेस नोट दिनांक-26.09.2019

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 09 वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर तथा नकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 154/19 धारा 452/354क/323/504/506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वाँछित अभियुक्त संजय सिंह यादव पुत्र कल्याण सिंह निवासी गोसाईपुरवा मजरा पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट तथा वाद संख्या 171/13 धारा 392/376/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त रामबाबू पुत्र सूरज पाल निवासी बरद्वारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम मु0अ0सं0 369/19 धारा 13 जुआ अधिनियम के वाँछित अभियुक्त (1) कल्लू खां पुत्र भोला खां निवासी कस्बा सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी (2) बल्लू कोरी पुत्र रामसनेही निवासी निवासी मालखाना थाना कोतवाली कर्वी तथा मु0अ0सं0 577/19 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वाँछित अभियुक्त शांति देवी पत्नी शिवसागर निवासी खोही थाना कोतवाली कर्वी तथा मु0अ0सं0 282/17 धारा 135 विद्युत अधिनियम के वाँछित अभियुक्त गंगा प्रसाद पुत्र चन्द्रपाल निवासी कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). श्री राकेश कुमार सरोज प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 13/15 धारा 171ए भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कल्लू पुत्र रामरतन पटेल निवासी बरूई थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). श्री राजेश कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा वाद सं0 40/17 धारा 354/452/504/506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अनिल पुत्र प्रभूदयाल रैदास निवासी भारतपुर चौकी भरतकूप थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v). श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा वाद संख्या 106/19 धारा 354 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त तीरथ पुत्र रामखिलावन निवासी नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री अजय कुमार प्रभारी चौकी जिला अस्पताल तथा उनकी टीम द्वारा मुहल्ला भरतपुरी से अभियुक्त हरीनारायण उर्फ टोली पुत्र रज्जन निवासी भरतपुरी कस्बा व थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 703/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार प्रभारी चौकी जिला अस्पताल
2. आरक्षी अंकित शुक्ला